

केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड

(पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की 100% पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)

बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय,

नई दिल्ली-110 016

सूचना

(विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (2) के तहत)

1. केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016 में है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित है, ने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (1) के तहत पारेषण लाइनों, उप-स्टेशनों और अन्य परिसंपत्तियों के संबंध में ट्रांसमिशन लाइसेंस प्रदान करने के लिए एक आवेदन किया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	लाइन / सबस्टेशन का नाम (स्थान)	लाइन की लंबाई */ क्षमता	वार्षिक ट्रांसमिशन शुल्क (आईएनआर) मिलियन प्रति वर्ष	कमीशनिंग शेड्यूल	टिप्पणी
1.	1x330 एमवीएआर 765 के वी बस रिेक्टर और 1x125 एमवीएआर 400 के वी बस रिेक्टर के साथ 765/400 के वी, 3x1500 एमवीए, केपीएस3 (जीआईएस) की स्थापना। 1500 एमवीए, 765/400 के वी आईसीटी - 3 नग। (10x500एमवीए एक अतिरिक्त यूनिट सहित) 765केवी आईसीटी बे - 3 नग। 400 के वी आईसीटी बे - 3 नग। 765 के वी लाइन बे - 2 नग। 400 के वी लाइन बे - 3 नग। 1x330 एमवीएआर, 765 के वी बस	3x1500 एमवीए	755.29	24 महीने से असरदार तारीख	



(Handwritten signature)

	<p>रिएक्टर-1 (4x110 एमवीएआर, एक अतिरिक्त इकाई सहित) 765 के वी रिएक्टर बे - 1 1x125 एमवीएआर 400 के वी बस रिएक्टर-1</p> <p>400 के वी रिएक्टर बे - 1 5x1500 एमवीए765/400 के वी आईसीटी के भविष्य के विस्तार के लिए पर्याप्त स्थान</p> <p>भविष्य के प्रावधान: 765/400 के वी आईसीटी के लिए खण्ड सहित स्थान: 5 नग।</p> <p>765 के वी लाइन बे: 4 नग। 400 के वी लाइन बे: 10 नग। 765 के वी बस सेक्शनलाइज़र ब्रेकर: 2 नग। 400 के वी बस सेक्शनलाइज़र ब्रेकर: 2 नग।</p> <p>भविष्य में क्षेत्र की किसी भी आहरण संबंधी जरूरतों का ध्यान रखने के लिए: 400/220 के वी आईसीटी: 2 नग। 220 के वी लाइन बे: 4 नग</p>				
2.	केपीएस 3- केपीएस 2 765 के वी डी / सी लाइन	14.993 कि.मी			
3.	2 नग केपीएस 2 पर 765 के वी लाइन बे की संख्या केपीएस 3- केपीएस 2 765 के वी डी / सी लाइन 765 के वी लाइन बे के लिए 765 के वी S/s: 2 नग। केपीएस2 छोर पर।				

*बोली प्रक्रिया समन्वयक द्वारा प्रस्तुत सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार

** प्रभावी तिथि: 21.03.2023



Handwritten signature

2. आयोग के समक्ष दायर पूर्ण आवेदन और अन्य दस्तावेज पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेब साइट <https://www.powergrid.in/subsidiaries> पर किसी भी व्यक्ति द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। आवेदन का निरीक्षण कंपनी के C/o ED (TBCB), पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सौदामिनी, प्लॉट नंबर 2, सेक्टर -29, गुडगांव 122001 में, श्री बी के प्रधान, परियोजना प्रभारी, केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड या आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार आयोग का कार्यालय के साथ भी किया जा सकता है।
3. आपत्ति या सुझाव, यदि कोई हो, आवेदक या उसके अधिकृत एजेंट, पावरग्रिड की वेबसाइट पर नोटिस के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर सचिव, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, तीसरी मंजिल, चंद्रलोक भवन, जनपथ, नई दिल्ली -110 001 के समक्ष आपत्ति (ओं)/सुझाव (ओं) की एक प्रति के साथ दायर किया जाना चाहिए।

बी के प्रधान,
परियोजना प्रभारी,
केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड

स्थान: नई दिल्ली

तारीख: 21/3/2023

